न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :– 70/2024
निर्णय दिनांक :– 24.10.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कानाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर (यादव), निवासी नैनस्या, तहसील फागी जिला जयपुर। हाल जिला दूदू (राज.)
2. मोहनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर। हाल जिला दूदू (राज.)
3. रामनिवास पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर। हाल जिला दूदू (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।
2. बाबूलाल पुत्र बद्री जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर। हाल जिला दूदू (राज.)
3. रामनारायण पुत्र बद्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर (यादव) निवासी नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर। हाल जिला दूदू (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री शेरसिंह नरूका वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :– 24.10.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजीयात जिसके आराजी खसरा नम्बर 676/3 रकबा 3.4142 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सिरस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त होकर लगान सरकार अदा करते आ रहे है। उपर्युक्त खसरा नं. की आराजीयात के मूल खसरा नं. 676 थे जिसका आपसी सहमति से सभी खातेदारान के मध्य तकासमा कर बटा नम्बर डालकर खाता अल्हदा अल्हदा कर जमाबंदी में नवीन खसरा नम्बरान का अंकन कर दिया गया। वरवक्त तकासमा नक्शा लट्टा में तरमीम नहीं की गई तथा मूल खसरा नम्बर ही नम्बर ही चला आ रहा था जिसकी विधिवत तरमीम नहीं की गई तथा मूल खसरा नम्बर ही नम्बर ही चला आ रहा था जिसकी विधिवत तरमीम नहीं हो रखी थी, वर्तमान में डी. आई.एल.एम.पी. योजना के तहत प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर की तरमीम राजस्व कार कानूनगों ने बिना भौतिक कब्जे की जॉच किये गलत रूप से नक्शा लट्टा में तरमीम कर दी जिसके अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 676/3 की तरमीम अप्रार्थी

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

सं. 2 व 3 के भौतिक कब्जे की जगह व अप्रार्थी सं. 2 व 3 के खसरा नं. 676/2 की तरमीम प्रार्थीगण के भौतिक कब्जे की जगह कर दी गई जो कि गलत रूप से की गई तरमीम है जबकि प्रार्थीगण का भौतिक कब्जा नवीन तरमीम के अनुसार खसरा नं. 676/2 की जगह पर है एवं खसरा नं. 676/2 के खातेदारान का कब्जा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात 676/3 की जगह है एवं उक्त दोनो खसरा नम्बरान की नक्शा लट्ठा में तरमीम करते समय रकबा को भी कम–ज्यादा कर दिया गया जो तरमीम की गई है वह गलत रूप से बिना कब्जे के की गई तरमीम है जिसका लेकर खातेदारान के मध्य आये दिन कब्जे काश्त को लेकर लड़ाई–झगड़ा होता रहता है जबकि दोनों खसरा नम्बरान का रकबा समान है जिसे रकबा बरारी कर उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त कर उक्त खसरा नम्बर 676/3 के खातेदारान प्रार्थीगण अपने कब्जेनुसार खसरा नं. 676/2 के खातेदारान की जगह मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु नक्शा लट्ठा में गलत तरमीम कर देने व रकबें को कम ज्यादा करने से प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान के मध्य आये दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है जबकि प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजीयात पर अपने पूर्व के कब्जेनुसार पश्चिम दिशा की ओर काबिज होकर काश्त करते आये है परन्तु राजस्व कर कानूनगों ने तरमीम वैधानिक रूप से गलत कर दी है नक्शा ट्रेस में उक्त गलत तरमीम हो जाने से पडोसी खातेदारान प्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजीयात से बेदखल करता चाहते है इसलिए उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। हाल ही में दिनांक 17.06.2024 को पडोसी खातेदार आराजी पर आये व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी से नक्शा लट्ठे में हो रखी गलत तरमीम के आधार पर बेदखल करने पर आमादा हो गये प्रार्थीगण द्वारा उक्त जगह अपना कब्जा शुरू से होना बताया तो पडोसी खातेदारान ने प्रार्थीगण की एक नहीं सुनी व उक्त गलत, तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की उन्नत व उपजाऊ आराजीयात से बेदखल करने की धमकियां देने लगे इसलिये ऐसी अवस्था में जब तक विवादित आराजीयात का वैधानिक रूप से भौतिक कब्जेनुसार नक्शे लट्ठे में तरमीम नहीं हो जाती तब तक अप्रार्थी को पाबन्द कर न्यायोचित होगा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य मूल विवाद गलत तरमीम को लेकर है प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी को काफी उन्नत व उपजाऊ कर मौके पर काबिज है परन्तु नक्शा लट्ठा में तरमीम वैधानिक रूप से न होकर बिना भौतिक कब्जे की जांच किये गलत रूप से कर दी गई है जिससे पडोसी खातेदारान अप्रार्थीगण प्रार्थीगण कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है व मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है क्योंकि तरमीम भौतिक कब्जे के अभाव में होने

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार..............3

से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए यह प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती पेश करना लाजमी आया है। पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद सीमा व नक्शा ट्रेस को लेकर है जिसके लिये तहसीलदार फागी से विवादित खसरा नम्बरान की मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित होगा। जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद का सही निस्तारण हो सकें। दिनांक 17.06.2024 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 के द्वारा उक्त गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने की कोशिश करने पर अन्दर मियाद पेश है। विवाद की विषय वस्तु व पक्षकारान का विवाद कारण श्रीमान के क्षेत्राधिकार होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आये तथा अपना जवाब पेश कर बताया कि उक्त प्रकरण ग्राम सिरस्या के ख0नं0 676/3 रकबा 3.4142 हैक्टेयर भूमि के खातेदार कानाराम मोहन लाल, रामनिवास पि0 लक्ष्मीनारायण हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा0 नैनस्या राहिन हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सिरस्या के ख0नं0 676/2 रकबा 3.4142 है0 भूमि के खातेदार बाबूलाल, रामनारायण पि0 बद्रीनारायण हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा0 नैनस्या के नाम दर्ज है। ख0नं0 676 का तकासमा सहायक कलक्टर कोर्ट नं. 3 जयपुर द्वारा सन 1971 में प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसके तहत नामान्तकरण सं. 168 दर्ज कर उसी के अनुसार तकासमा व तरमीम किया जाना था। मौके पर प्रार्थी की तरमीम वर्तमान नक्शा शीट डी.आई.एल. आर.एम.पी0 में मौका अनुसार नहीं है। ख.नं. 676/2, 676/3 पर वर्तमान मे किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नही है।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित आराजी का कब्जे व रिकार्ड अनुसार रकबा बरारी कर आराजी खसरा नं. 676/3 के स्थान पर खसरा नं. 676/2 व खसरा न 676/2 के स्थान पर खसरा नं. 676/3 की तरमीम नक्शा ट्रेस में किये जाने के आदेश पारित किये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम सिरस्या के खाता संख्या 250 मे प्रार्थी तथा अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जवाब में ग्राम सिरस्या के ख0नं0 676 मौके पर प्रार्थी की तरमीम वर्तमान नक्शा शीट डी.आई. एल.आर.एम.पी0 में मौका अनुसार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(4)

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 676 / 3 भूमि वाके ग्राम सिरस्या तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को सरे इजलास सुनाया जाता है

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- दूदू

सत्यमेव जयते